न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती प्रियंका गोस्वामी (आई.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 70/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 11.08.2025 निर्णय दिनांक : 27.10.2025

उनवान

1. रोशन लाल पुत्र श्री मातादीन जाति अहीर निवासी बावडी तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान। .....प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी न्यायालय उपखंड अधिकारी नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड।
2. हीरालाल पुत्र श्री दीनदयाल उर्फ मातादीन जाति अहीर निवासी ग्राम बावडी तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड, राज.।
3. जयप्रकाश पुत्र श्री दीनदयाल उर्फ मातादीन जाति अहीर निवासी ग्राम बावडी तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड, राज.।
4. विनोद पुत्र श्री दीनदयाल उर्फ मातादीन जाति अहीर निवासी ग्राम बावडी तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड, राज.।
5. महीपाल पुत्र श्री दीनदयाल उर्फ मातादीन जाति अहीर निवासी ग्राम बावडी तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड, राज.।
6. विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सरदार सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम बावडी तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड
7. राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर महोदय अलवर, राज.।
8. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना। .....अप्रार्थीगण
9. परसराम पुत्र श्री मातादीन जाति अहीर निवासी बावडी तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
10. कमला देवी पत्नि परसाराम जाति अहीर निवासी बावडी तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
11. दिनेश कुमार पुत्र परसाराम जाति अहीर निवासी बावडी तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
12. विनोद कुमार पुत्र परसाराम जाति अहीर निवासी बावडी तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान ।
13. कमलेश पुत्री परसाराम जाति अहीर निवासी बावडी तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
14. लक्ष्मीचद पुत्र मातादीन जाति अहीर निवासी बावडी तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
15. तारावती बेवा जवाहरलाल जाति अहीर निवासी बावडी तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान ।
16. अनिल पुत्र श्री जवाहरा जाति अहीर निवासी बावडी तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
17. संजय पुत्री जवाहरलाल जाति अहीर निवासी बावडी तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।

.....तरतीबी अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री सुधीर शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री अजय सिंह तंवर अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 03, 04, 05 की ओर सें।

।। निर्णय ।। दिनांक–27.10.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखंड अधिकारी / सहायक कलक्टर नीमराना के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बउनवानी परसराम बनाम हीरालाल प्रकरण सख्या 962/2015 (54/2009) मय स्थगन प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी नीमराणा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 02, 03, 04 की ओर से अधिवक्ता श्री अजय सिंह तंवर ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड

निवेदन किया कि प्रार्थी एव तरतीबी अप्रर्थीगण द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर बहरोड के समक्ष वाद एवं स्थगन प्रार्थना पत्र बउनवानी परसराम बनाम हीरालाल प्रकरण संख्या 54/2009 दावा घोषणा दुरूस्ति रिकॉर्ड एव स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण को जरिये नाटिसं तलब किये जाने के पश्चात प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही आये तथा पत्रावली में वास्ते साक्ष्य वादी हेतु नियत की। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा एकतरफा कार्यवाही निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार किये जाने के उपरांत प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत न कर पत्रावली में आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत कर उपरोक्त वाद को खारिज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी गण को सुनवाई का कोई युक्ति युक्त अवसर दिये उक्त प्रकरण को खारिज किये जाने पर उतारू हो रहे है। प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त वाद प्रस्तुत किये जाने के उपरांत अप्रार्थी प्रतिवादीगण को अनेको अवसर दिये जाने के उपरात भी अप्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं आये अपितु उनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की तदोपरांत लगभग 02 वर्ष पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को विधि विरुद्ध जाकर पीठासीन अधिकारी ने उक्त प्रार्थना पत्र बिना कोई युक्ति युक्त कारण दर्शित किये स्वीकार कर लिया। जिस पर लगभग एक वर्ष से भी अधिक समय से जवाब दावा प्रस्तुत न कर उपरोक्त प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 विधि विरुद्ध जाकर पेश किया है एवं अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थी के बाद पत्र को खारिज करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण ऐलानिया कह रहे है कि उन्होंने पीठासीन अधिकारी से बात कर ली है तथा आगामी तारीख पेशी को वाद को खारिज करवा देंगे।

अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखंड अधिकारी नीमराना के समक्ष विचाराधीन वाद बउनवानी परसराम चंद बनाम हीरालाल प्रकरण संख्या 962/2015 (54/2009) की पत्रावली को दीगर न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने के आदेश प्रदान करे।

5. वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस के दौरान वकील प्रार्थी के कथनो को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने मनगढन्त व झूठे तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विधिवत् सुनवाई की जा रही है। प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण को लम्बित रखने के उद्देश्य से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया जो चलने योग्य नहीं है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

6. वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण वास्तें जवाब/बहस प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 हेतु काफी समय से लम्बित है। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपो के संबंध में कोई ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया जिससे यह सिद्ध होता हो कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसी कार्यवाही की गई हो जिससे प्रकरण के निस्तारण हेतु किसी प्रकार की अनियमितता की गई है। इस प्रकार वकील प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को स्थानान्तरित करना न्यायोचित्त नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति संबंधित न्यायालय को भिजवाई जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली-बहरोड़

(प्रियंका गोस्वामी)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़
कोटपूतली–बहरोड़